

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, मंगलवा No. 17] NEW DELHI, TUESDA

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 10, 2017/पौष 20, 1938 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 10, 2017/PAUSA 20, 1938

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 10 जनवरी, 2017

सं.फेमा. 383/2017-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा

प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017

सा.का.िन. 17(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) (इसके बाद "मूल विनियमावली" कहलाया जाएगा) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियमावली, 2017 कहलाएंगे।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

122 GI/2017 (1)

2. अनुसूची 1 में संशोधन:-

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 20/2000-आरबी) की अनुसूची-1 के अनुबंध "बी" में

ए. पैराग्राफ सं. एफ़.4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :

"एफ़.4	प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी				
एफ़.4.1	प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा: शेयर बाज़ार,	49%	स्वचालित मार्ग से		
	कमोडिटी डेरिवेटिव एक्स्चेंज, निक्षेपागार और समाशोधन निगम, जो				
	सेबी की विनियमावली के अनुपालन में हों।				
एफ़.4.2	अन्य शर्तें :				
	(i) विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) सहित ऐसे विदेशी निवेश, जो केंद्र सरकार, सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों / विनियमों के अधीन हों।				
	(ii) यहाँ प्रयुक्त उन सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जिन्हें इस विनियमावली में परिभाषित नहीं किया गया				
	हैं, किन्तु उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतिभूति संविदा (विनियमन)				
	अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992				
	(1992 का 15) अथवा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) अथवा सेबी द्वारा अन्य				
	संबन्धित विनियमों में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उन्हें संबन्धित अधिनियमों / विनियमों में दिये गए हैं।				

बी. मौजूदा पैराग्राफ एफ़.6 को हटा दिया गया है।

सी. मौजूदा पैराग्राफ एफ़.7 एफ़.8 एफ़.9 एवं एफ़.10 को क्रमशः एफ़.6 एफ़.7 एफ़.8 एवं एफ़.9 के रूप में प्रतिस्थापित किया गया है।

[फा. सं. 1/1/20-ईएम/2016]

शेखर भटनागर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद-टिप्पणी :-मूल विनियमावली 8 मई 2000 को सा.का.नि.सं.406(अ) भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) के तहत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:-

सा.का.नि. सं.158(अ) दिनांक 02.03.2001	सा.का.नि. सं.899(अ) दिनांक 22.11.2003
सा.का.नि. सं.175(अ) दिनांक 13.03.2001	सा.का.नि. सं.12(अ) दिनांक 07.01.2004
सा.का.नि. सं.182(अ) दिनांक 14.03.2001	सा.का.नि. सं.278(अ) दिनांक 23.04.2004
सा.का.नि. सं.4(अ) दिनांक 02.01.2002	सा.का.नि. सं.454(अ) दिनांक 16.07.2004
सा.का.नि. सं.574(अ) दिनांक 19.08.2002	सा.का.नि. सं.625(अ) दिनांक 21.09.2004
सा.का.नि. सं.223(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं.799(अ) दिनांक 08.12.2004
सा.का.नि. सं.225(अ) दिनांक 18.03.2003	सा.का.नि. सं.201(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं.558(अ) दिनांक 22.07.2003	सा.का.नि. सं.202(अ) दिनांक 01.04.2005
सा.का.नि. सं.835(अ) दिनांक 23.10.2003	सा.का.नि. सं.504(अ) दिनांक 25.07.2005

सा.का.नि. सं.505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं.513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं.738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं.29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं.413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं.712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं.713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं.737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं.575(अ) दिनांक 05.08.2008 सा.का.नि. सं.896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं.851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं.341(अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं.821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं.606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं.795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं.796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं.797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं.945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013 सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014

सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 सा.का.नि. सं.436(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 487(अ) दिनांक 11.07.2014 सा.का.नि. सं.632(अ) दिनांक 02.09.2014 सा.का.नि. सं.798(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं.799(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं.800(अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं.829(अ) दिनांक 21.11.2014 सा.का.नि. सं.906(अ) दिनांक 22.12.2014 सा.का.नि. सं.914(अ) दिनांक 24.12.2014 सा.का.नि. सं.30(अ) दिनांक 14.01.2015 सा.का.नि. सं. 183(अ) दिनांक 12.03.2015 सा.का.नि. सं. 284(अ) दिनांक 13.04.2015 सा.का.नि. सं. 484(अ) दिनांक 11.06.2015 सा.का.नि. सं. 745(अ)दिनांक 30.09.2015 सा.का.नि. सं. 759(अ)दिनांक 06.10.2015 सा.का.नि. सं. 823(अ)दिनांक 30.10.2015 सा.का.नि. सं. 858(अ)दिनांक 16.11.2015 सा.का.नि. सं. 983(अ)दिनांक 17.12.2015 सा.का.नि. सं. 165(अ)दिनांक 15.02.2016 सा.का.नि. सं. 166(अ)दिनांक 15.02.2016 सा.का.नि. सं. 369(अ)दिनांक 30.03.2016 सा.का.नि. सं. 465(अ)दिनांक 28.04.2016 सा.का.नि. सं. 537(अ)दिनांक 20.05.2016 सा.का.नि. सं. 879(अ)दिनांक 09.09.2016 सा.का.नि. सं. 1002(अ)दिनांक 24.10.2016 सा.का.नि. सं. 1003(अ) दिनांक 24.10.2016 सा.का.नि. सं. 1015(अ)दिनांक 27.10.2016 सा.का.नि. सं. 1042(अ)दिनांक 04.11.2016

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

CENTRAL OFFICE

NOTIFICATION

Mumbai, the 10th January, 2017

No. FEMA. 383/2017-RB

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2017

G.S.R. 17(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6 and Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 20/2000-RB dated 3rd May 2000) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'), namely:-

1. Short Title & Commencement

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Amendment) Regulations, 2017.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 1

In Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000), in Schedule 1, in Annex B.

A. The existing Paragraph F.4 shall be substituted by the following namely:-

"F.4	Infrastructure Company in the Securities Market		
F.4.1	Infrastructure companies in Securities Markets, namely, stock exchanges, commodity derivative exchanges, depositories and clearing corporations, in compliance with SEBI Regulations.		Automatic
F.4.2	Other Conditions:		
	 (i) Foreign investment, including investment by FPIs, will be subject to the Guidelines/ Regulations issued by the Central Government, SEBI and the Reserve Bank from time to time. (ii) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) or the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or in the concerned Regulations issued by SEBI shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts/ Regulations. 		

- **B.** The existing Paragraph F.6 shall be deleted.
- C. The existing Paragraphs F.7, F.8, F.9 and F.10 shall be re-numbered as F.6, F.7, F.8 and F.9 respectively.

[F. No. 1/20/EM/2016]

SHEKHAR BHATNAGAR, Chief General Manager-in-charge

Foot Note:-

The Principal Regulations were published in the Official Gazette vide G.S.R. No.406 (E) dated May 8, 2000 in Part II, Section 3, sub-Section (i) and subsequently amended as under:-

G.S.R.No. 158(E) dated 02.03.2001	G.S.R. No. 223(E) dated 18.03.2003
G.S.R. No. 175(E) dated 13.03.2001	G.S.R. No. 225(E) dated 18.03.2003
G.S.R. No. 182(E) dated 14.03.2001	G.S.R. No. 558(E) dated 22.07.2003
G.S.R. No. 4(E) dated 02.01.2002	G.S.R. No. 835(E) dated 23.10.2003
G.S.R. No. 574(E) dated 19.08.2002	G.S.R. No. 899(E) dated 22.11.2003

G.S.R. No. 12(E) dated 07.01.2004	G.S.R. No. 818(E) dated 31.12.2013
G.S.R. No. 278(E) dated 23.04.2004	G.S.R. No. 805(E) dated 30.12.2013
G.S.R. No. 454(E) dated 16.07.2004	G.S.R. No. 683(E) dated 11.10.2013
G.S.R. No. 625(E) dated 21.09.2004	G.S.R. No. 189(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 799(E) dated 08.12.2004	G.S.R. No. 190(E) dated 19.03.2014
G.S.R. No. 201(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 270(E) dated 07.04.2014
G.S.R. No. 202(E) dated 01.04.2005	G.S.R. No. 361 (E) dated 27.05.2014
G.S.R. No. 504(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 370(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 505(E) dated 25.07.2005	G.S.R. No. 371(E) dated 30.05.2014
G.S.R. No. 513(E) dated 29.07.2005	G.S.R. No. 435(E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 738(E) dated 22.12.2005	G.S.R. No. 400(E) dated 12.06.2014
G.S.R. No. 29(E) dated 19.01.2006	G.S.R. No. 436(E) dated 08.07.2014
G.S.R. No. 413(E) dated 11.07.2006	G.S.R. No. 487(E) dated 11.07.2014
G.S.R. No. 712(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 632(E) dated 02.09.2014
G.S.R. No. 713(E) dated 14.11.2007	G.S.R. No. 798(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 737(E) dated 29.11.2007	G.S.R. No. 799(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 575(E) dated 05.08.2008	G.S.R. No. 800(E) dated 13.11.2014
G.S.R. No. 896(E) dated 30.12.2008	G.S.R. No. 829(E) dated 21.11.2014
G.S.R. No. 851(E) dated 01.12.2009	G.S.R. No. 906(E) dated 22.12.2014
G.S.R. No. 341(E) dated 21.04.2010	G.S.R. No. 914(E) dated 24.12.2014
G.S.R. No. 821 (E) dated 10.11.2012	G.S.R. No. 30(E) dated 14.01.2015
G.S.R. No. 606(E) dated 03.08.2012	G.S.R. No. 183(E) dated 12.03.2015
G.S.R. No. 795(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 284(E) dated 13.04.2015
G.S.R. No. 796(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 484(E) dated 11.06.2015
G.S.R. No. 797(E) dated 30.10.2012	G.S.R. No. 745(E) dated 30.09.2015
G.S.R. No. 945 (E) dated 31.12.2012	G.S.R. No. 759(E) dated 06.10.2015
G.S.R. No. 946(E) dated 31.12.2012	G.S.R. No. 823(E) dated 30.10.2015
G.S.R. No. 38(E) dated 22.01.2013	G.S.R. No. 858(E) dated 16.11.2015
G.S.R. No. 515(E) dated 30.07.2013	G.S.R. No. 983(E) dated 17.12.2015
G.S.R. No. 532(E) dated 05.08.2013	G.S.R. No. 165(E) dated 15.02.2016
G.S.R. No. 341(E) dated 28.05.2013	G.S.R. No. 166(E) dated 15.02.2016
G.S.R. No. 344(E) dated 29.05.2013	G.S.R. No. 369(E) dated 30.03.2016
G.S.R. No. 195(E) dated 01.04.2013	G.S.R. No. 465(E) dated 28.04.2016
G.S.R. No. 393(E) dated 21.06.2013	G.S.R. No. 537(E) dated 20.05.2016
G.S.R. No. 591(E) dated 04.09.2013	G.S.R. No. 879(E) dated 09.09.2016
G.S.R. No. 596(E) dated 06.09.2013	G.S.R. No. 1002(E) dated 24.10.2016
G.S.R. No. 597(E) dated 06.09.2013	G.S.R. No. 1003(E) dated 24.10.2016
G.S.R. No. 681(E) dated 11.10.2013	G.S.R. No. 1015(E) dated 27.10.2016
G.S.R. No. 682(E) dated 11.10.2013	G.S.R. No. 1042(E) dated 04.11.2016